सूचना

दिनांक: 15.04.2021

विश्वविद्यालय के पत्रांक लो0अ0अवि0/कु0स0का0/2021/726 दिनांक 14.04.2021 द्वारा जारी अधिसूचना के क्रम में कोविड–19 के तेजी से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए दिनांक 16 अप्रैल, 2021 से 02 मई, 2021 तक महाविद्यालय में समस्त शैक्षणिक कार्य भौतिक रूप से बन्द रहेंगे। 16 अप्रैल, 2021 से केवल ऑनलाइन माध्यम से ही पठन–पाठन का कार्य होगा। महाविद्यालय में समस्त शैक्षणिक कार्य समय–सारणी के अनुसार ऑनलाइन होंगे। कोई भी शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारी बिना प्राचार्य की अनुमति के मुख्यालय से बाहर नहीं जायेंगे।

महाविद्यालय के समस्त कर्मचारीगण कोरोना के नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए महाविद्यालय के कार्यों को सम्पादित करेंगे।

प्राचार्य

प्रतिलिपि सेवा में सूचनार्थ प्रेषितः–

1. जिलाधिकारी, गोण्डा।

प्राचार्य

डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ.प्र.)
Dr. Rammanohar Lohia Avadh University, Ayodhya (UP)

पत्रांकः लो0अ0वि0 / कु0स0का0 / 2021 / 726 दिनांकः 14.04.2021

अधिसूचना

कोविड–19 के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत विश्वविद्यालय / महाविद्यालय / उच्च शिक्षण संस्थान संचालित किए जाने सम्बन्धी उच्च शिक्षा अनुभाग –3, के पत्र संख्याः 1053 / सत्तर–3–2021–08(20) / 2020, दिनांकः 13 अप्रैल, 2021 के अनुपालन में माननीय कुलपति जी की अध्यक्षता में आज दिनांकः 14 अप्रैल, 2021 को अपरान्ह् 03:30 बजे सन्त कबीर सभागार में महत्वपूर्ण आपात बैठक आहूत की गयी।

बैठक में अधिष्ठाता छात्र कल्याण, संकायाध्यक्षों, निदेशकों, कुलानुशासक, विभागाध्यक्षों, समन्वयकों, वार्डेन छात्रावासों, अधीक्षक छात्रावासों, वित्त अधिकारी, कुलसचिव, उपकुलसचिव, प्रोग्रामर, चिकित्साधिकारी (विश्वविद्यालय स्वास्थ्य केन्द्र) इत्यादि ने प्रतिभाग किया। बैठक में कोविड–19 के बढ़ते हुए संक्रमण पर गहन विचार–विमर्श किया गया।

विश्वविद्यालय के शैक्षणिक तथा प्रशासनिक गतिविधियों को कोविड–19 के तेजी से बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत, संचालित किये जाने हेतु सम्यक् विचारोपरान्त निम्नांकित निर्णय लिये गये :–

1 कोविड–19 के तेजी से बढ़ते संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए दिनांकः 16 अप्रैल, 2021 से 02 मई, 2021 तक विश्वविद्यालय परिसर में समस्त शैक्षणिक कार्य भौतिक रूप से बन्द करने की संस्तुति की गयी है तथा 16 अप्रैल, 2021 से सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से ही पठन–पाठन का कार्य संचालित किया जायेगा।

2 इस अवधि में आवश्यक सेवायें यथा विश्वविद्यालय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, विद्युत एवं जल आपूर्ति, सुरक्षा व्यवस्था, स्वच्छताकर्मी एवं माली कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए उपस्थित रहकर कार्य करते रहेंगे।

3 विश्वविद्यालय की समस्त शैक्षणिक गतिविधियॉं ऑनलाइन मोड में संचालित की जायेंगी। समस्त शिक्षकगण, विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किये गये समय–सारणी के अनुसार ऑनलाइन कक्षायें लेंगे। कोई भी शिक्षक बिना अनुमति के मुख्यालय से बाहर नहीं जाएगें। अपरिहार्य परिस्थितियों में ही कुलपति महोदय से अनुमति प्राप्त कर मुख्यालय से बाहर जा सकेंगे।

4 विश्वविद्यालय के समस्त अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण इस अवधि में सम्बन्धित विभागीय कार्यालय में उपस्थिति होकर, कोरोना प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए विश्वविद्यालय के कार्यों को सम्पादित करते रहेंगे।

5 विश्वविद्यालय के सभी छात्र–छात्राओं से अनुरोध है कि कोरोना के तेजी से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आज से 48 घण्टों के भीतर अपने घरों को सुरक्षित प्रस्थान कर जायें। कुलानुशासक / समस्त छात्रावासों के वार्डेन एवं अधीक्षक छात्रावासों में रहने वाले छात्र–छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे तथा विश्वविद्यालय प्रशासन को इससे अवगत भी कराते रहेंगे। इस दौरान छात्र–छात्रायें, शिक्षकों द्वारा संचालित ऑनलाइन माध्यम से

पठन–पाठन का कार्य करते रहें। परीक्षा या भौतिक रूप से कक्षा संचालन सम्बन्धित अद्यतन सूचना से सभी छात्र–छात्राओं को समय–समय पर अवगत कराया जायेगा।

6 यदि विश्वविद्यालयीय में किसी कार्य हेतु कोई आगन्तुक विश्वविद्यालय आना चाहता है तो उसे 72 घण्टे पूर्व का RT-PCR की जॉच रिपोर्ट प्रस्तुत करनी आवश्यक होगी। तभी वे विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश कर सकेंगे। अन्यथा ऑनलाइन माध्यम से अपना कार्य करा सकते हैं।

7 विश्वविद्यालय से सम्बद्ध सभी महाविद्यालय के प्राचार्य अपने शिक्षकों, कर्मचारियों एवं छात्र–छात्राओं के साथ–साथ शैक्षणिक क्रिया कलापों के सम्बन्ध में उपर्युक्त दिशा निर्देशों का पालन करेंगे और इस सन्दर्भ में अपने सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी को सूचित करते हुए विश्वविद्यालय के गाइडलाइन को स्वीकार करेंगे।

कुलसचिव

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1 जिलाधिकारी, अयोध्या को उच्च शिक्षा अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्याः 1053 / सत्तर–3–2021–08(20) / 2020, दिनांकः 13 अप्रैल, 2021 के अनुपालन में सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2 समस्त संकायाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष / निदेशक / समन्वयक, डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या।

3 समस्त वार्डेन / अधीक्षक छात्रावास, डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

4 मुख्य कुलानुशासक, डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

5 समस्त प्राचार्य / प्राचार्या, सम्बद्ध महाविद्यालय, डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या।

6 प्रोग्रामर, ई0डी0पी0 सेल को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त अधिसूचना को विश्वविद्यालय की वेबसाइट तथा समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय की लॉगइन आइडी पर अपलोड करने का कष्ट करें।

7 पत्रावली।

कुलसचिव